

Site Inspection By the CF

Name of Project:- Rewa Sidhi Singrauli New Railway Line Project

Name of District/Division – Singrauli and Sidhi

Date of Inspection – 08-02-2023

Sr. No.	Particular	Inspection Report BY CF Rewa			
		वन मण्डल	वन भूमि हे. में	राजस्व वन भूमि हे. में	योग
1.	Extent in hectares	सिंगरौली	141.92	0	141.92
		सीधी	34.32	0	34.32
		योग	176.24	0	176.24
2.	Location (Lat-Long) of the forest land proposed for Diversion	वन परिक्षेत्र बरगवा			
		Cardinal	Y	X	
		PF 202	24°15'49.74"N	82°26'53.20"E	
			24°16'16.70"N	82°25'50.10"E	
		PF 201	24°15'34.58"N	82°27'41.96"E	
			24°15'49.74"N	82°26'53.20"E	
		PF 200	24°14'59.70"N	82°28'12.70"E	
			24°15'34.58"N	82°27'41.96"E	
		PF 197	24°14'30.90"N	82°28'22.80"E	
			24°14'59.70"N	82°28'12.70"E	
		वन परिक्षेत्र कर्धुआ			
		Cardinal	Y	X	
		RF 847	24°25'34.00"N	82°12'32.79"E	
			24°25'13.80"N	82°12'4.91"E	
		RF 848	24°24'46.79"N	82°12'5.99"E	
			24°24'30.52"N	82°13'02.36"E	
		PF 845	24°24'14.63"N	82°13'13.24"E	
			24°24'00.33"N	82°13'17.15"E	
		RF 774	24°22'23.00"N	82°14'18.20"E	
			24°22'13.40"N	82°14'19.90"E	
			24°21'51.70"N	82°14'30.00"E	
			24°21'39.30"N	82°14'3.50"E	
		वन परिक्षेत्र जियावन-			
		Cardinal	Y	X	
		RF 773	24°21'40.00"N	82°14'40.80"E	
			24°21'19.50"N	82°14'48.50"E	
		PF 776	24°21'19.50"N	82°14'48.50"E	
			24°20'27.40"N	82°15'2.30"E	
		PF 781	24°16'33.44"N	82°24'23.81"E	
			24°16'28.00"N	82°24'59.00"E	
		PF 782	24°16'36.00"N	82°24'08.00"E	
			24°16'33.44"N	82°24'23.81"E	

		वन मण्डल सीधी, परिक्षेत्र बहरी-																																																																																																																																																			
		<table><tr><th>Cardinal</th><th>Y</th><th>X</th></tr><tr><td rowspan="2">PF 942</td><td>24°26'19.85"N</td><td>82°11'58.13"E</td></tr><tr><td>24°25'52.96"N</td><td>82°12'13.87"E</td></tr><tr><td rowspan="2">PF 932</td><td>24°27'07.21"N</td><td>82°08'59.99"E</td></tr><tr><td>24°27'07.31"N</td><td>82°09'15.49"E</td></tr><tr><td rowspan="2">PF 946</td><td>24°26'26.66"N</td><td>82°05'46.05"E</td></tr><tr><td>24°26'32.58"N</td><td>82°06'17.90"E</td></tr></table>	Cardinal	Y	X	PF 942	24°26'19.85"N	82°11'58.13"E	24°25'52.96"N	82°12'13.87"E	PF 932	24°27'07.21"N	82°08'59.99"E	24°27'07.31"N	82°09'15.49"E	PF 946	24°26'26.66"N	82°05'46.05"E	24°26'32.58"N	82°06'17.90"E																																																																																																																																	
Cardinal	Y	X																																																																																																																																																			
PF 942	24°26'19.85"N	82°11'58.13"E																																																																																																																																																			
	24°25'52.96"N	82°12'13.87"E																																																																																																																																																			
PF 932	24°27'07.21"N	82°08'59.99"E																																																																																																																																																			
	24°27'07.31"N	82°09'15.49"E																																																																																																																																																			
PF 946	24°26'26.66"N	82°05'46.05"E																																																																																																																																																			
	24°26'32.58"N	82°06'17.90"E																																																																																																																																																			
3.	Legal status of the forest land (Protected forest, reserved forest, Revenue forest land or any other forest land)	<table><tr><th>क्र०</th><th>संरक्षित / आरक्षित वन भूमि</th><th>परिक्षेत्र का नाम</th><th>वन खण्ड का नाम</th><th>शीट का नाम</th><th>कक्ष क्र०</th><th>रकबा (हे०)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>आरक्षित वन भूमि</td><td>कथुआ</td><td>रेही</td><td>कथुआ</td><td>848</td><td>6.67</td></tr><tr><td>2</td><td>आरक्षित वन भूमि</td><td>जियावन</td><td>सरीखा</td><td>कुसा</td><td>773</td><td>8.32</td></tr><tr><td>3</td><td>आरक्षित वन भूमि</td><td>कथुआ</td><td>खम्हरिया</td><td>खम्हरिया</td><td>774</td><td>8.92</td></tr><tr><td colspan="6">योग</td><td>23.91</td></tr><tr><td>1</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>कथुआ</td><td>कथुआ</td><td>कथुआ</td><td>845</td><td>8.92</td></tr><tr><td>2</td><td>आरक्षित वन भूमि</td><td>कथुआ</td><td>गोपद</td><td>कथुआ</td><td>847</td><td>6.31</td></tr><tr><td>3</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>जियावन</td><td>गीधेर</td><td>जोगनी</td><td>782</td><td>8.56</td></tr><tr><td>4</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>जियावन</td><td>गीधेर</td><td>जोगनी</td><td>781</td><td>15.68</td></tr><tr><td>5</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>जियावन</td><td>कुसा</td><td>कुसा</td><td>776</td><td>15.87</td></tr><tr><td>6</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>बरगवा</td><td>मझगवा</td><td>मझगवा</td><td>202</td><td>11.26</td></tr><tr><td>7</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>बरगवा</td><td>मझगवा</td><td>मझगवा</td><td>201</td><td>25.84</td></tr><tr><td>8</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>बरगवा</td><td>मझगवा</td><td>मझगवा</td><td>200</td><td>14.29</td></tr><tr><td>9</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>बरगवा</td><td>ओडगडी</td><td>बडोखर</td><td>197</td><td>11.28</td></tr><tr><td colspan="6">योग</td><td>118.01</td></tr><tr><td colspan="6">वन मण्डल सिंगरीली का योग</td><td>141.92</td></tr><tr><td>1</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>बहरी</td><td>बहरी</td><td>बहरी</td><td>942</td><td>10.75</td></tr><tr><td>2</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>बहरी</td><td>देवगवा</td><td>बहरी</td><td>932</td><td>17.84</td></tr><tr><td>3</td><td>संरक्षित वन भूमि</td><td>बहरी</td><td>गजरहा</td><td>सैरपुर</td><td>946</td><td>5.73</td></tr><tr><td colspan="6">वन मण्डल सीधी का योग</td><td>34.32</td></tr></table>	क्र०	संरक्षित / आरक्षित वन भूमि	परिक्षेत्र का नाम	वन खण्ड का नाम	शीट का नाम	कक्ष क्र०	रकबा (हे०)	1	2	3	4	5	6	7	1	आरक्षित वन भूमि	कथुआ	रेही	कथुआ	848	6.67	2	आरक्षित वन भूमि	जियावन	सरीखा	कुसा	773	8.32	3	आरक्षित वन भूमि	कथुआ	खम्हरिया	खम्हरिया	774	8.92	योग						23.91	1	संरक्षित वन भूमि	कथुआ	कथुआ	कथुआ	845	8.92	2	आरक्षित वन भूमि	कथुआ	गोपद	कथुआ	847	6.31	3	संरक्षित वन भूमि	जियावन	गीधेर	जोगनी	782	8.56	4	संरक्षित वन भूमि	जियावन	गीधेर	जोगनी	781	15.68	5	संरक्षित वन भूमि	जियावन	कुसा	कुसा	776	15.87	6	संरक्षित वन भूमि	बरगवा	मझगवा	मझगवा	202	11.26	7	संरक्षित वन भूमि	बरगवा	मझगवा	मझगवा	201	25.84	8	संरक्षित वन भूमि	बरगवा	मझगवा	मझगवा	200	14.29	9	संरक्षित वन भूमि	बरगवा	ओडगडी	बडोखर	197	11.28	योग						118.01	वन मण्डल सिंगरीली का योग						141.92	1	संरक्षित वन भूमि	बहरी	बहरी	बहरी	942	10.75	2	संरक्षित वन भूमि	बहरी	देवगवा	बहरी	932	17.84	3	संरक्षित वन भूमि	बहरी	गजरहा	सैरपुर	946	5.73	वन मण्डल सीधी का योग						34.32
क्र०	संरक्षित / आरक्षित वन भूमि	परिक्षेत्र का नाम	वन खण्ड का नाम	शीट का नाम	कक्ष क्र०	रकबा (हे०)																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
1	आरक्षित वन भूमि	कथुआ	रेही	कथुआ	848	6.67																																																																																																																																															
2	आरक्षित वन भूमि	जियावन	सरीखा	कुसा	773	8.32																																																																																																																																															
3	आरक्षित वन भूमि	कथुआ	खम्हरिया	खम्हरिया	774	8.92																																																																																																																																															
योग						23.91																																																																																																																																															
1	संरक्षित वन भूमि	कथुआ	कथुआ	कथुआ	845	8.92																																																																																																																																															
2	आरक्षित वन भूमि	कथुआ	गोपद	कथुआ	847	6.31																																																																																																																																															
3	संरक्षित वन भूमि	जियावन	गीधेर	जोगनी	782	8.56																																																																																																																																															
4	संरक्षित वन भूमि	जियावन	गीधेर	जोगनी	781	15.68																																																																																																																																															
5	संरक्षित वन भूमि	जियावन	कुसा	कुसा	776	15.87																																																																																																																																															
6	संरक्षित वन भूमि	बरगवा	मझगवा	मझगवा	202	11.26																																																																																																																																															
7	संरक्षित वन भूमि	बरगवा	मझगवा	मझगवा	201	25.84																																																																																																																																															
8	संरक्षित वन भूमि	बरगवा	मझगवा	मझगवा	200	14.29																																																																																																																																															
9	संरक्षित वन भूमि	बरगवा	ओडगडी	बडोखर	197	11.28																																																																																																																																															
योग						118.01																																																																																																																																															
वन मण्डल सिंगरीली का योग						141.92																																																																																																																																															
1	संरक्षित वन भूमि	बहरी	बहरी	बहरी	942	10.75																																																																																																																																															
2	संरक्षित वन भूमि	बहरी	देवगवा	बहरी	932	17.84																																																																																																																																															
3	संरक्षित वन भूमि	बहरी	गजरहा	सैरपुर	946	5.73																																																																																																																																															
वन मण्डल सीधी का योग						34.32																																																																																																																																															
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	वन मण्डल सीधी अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र डिमार्कट किया गया है। वन मण्डल सिंगरीली अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र चिन्हित नहीं है।																																																																																																																																																			
5.	Any signs of encroachment	प्रस्तावित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं है। वन मण्डल सीधी के कक्ष क्रमांक पी-942 रकबा 0.054 हे. में श्री त्रयम्बकेश सिंह पिता सतर्ष सिंह को वनाधिकार पत्र प्रदाय किया गया है।																																																																																																																																																			
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user agency in case of violation of the FC Act and	No																																																																																																																																																			

	guidelines there under.	
7.	Status of vegetation, site quality, species composition etc.	वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत- खैर, सागौन, सात एवं मिश्रित प्रजाति के वृक्ष पाये जाते हैं। जिसका घनत्व 0.2 से 0.4 है। वन मण्डल सीधी अन्तर्गत- सागौन, खम्हार, सेधा, खैर, हल्दू, महुआ, तेन्दू एवं शिशु प्रजाति के वृक्ष पाये जाते हैं। जिसका घनत्व 0.5 से 0.8 है।
8.	Importance of area from wildlife point of view, Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals any, endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत- Jaykal, Deer, Bear, Sambhar, Chinkara, Chital, Pig, Kharha, Hyena etc वन मण्डल सीधी अन्तर्गत- Bear, Leopord, Hyna, Jackal, Monkey, Langoor, Chinkara, Peacock
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area	No
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the working plan and if not, why	प्रभावित वन क्षेत्र आर.डी.एफ. प्रबंधन वृत्त के अन्तर्गत प्रबंधित किया जा रहा है।
11.	Importance of the area from historical or religious point of view	No
12.	Any dependent persons/families on this land	वन मण्डल सीधी के कक्ष क्रमांक पी-942 रकबा 0.054 हे. में श्री त्रयम्बकेश सिंह पिता सतई सिंह को वनाधिकार पत्र प्रदाय किया गया है।
13.	Any displacement of persons proposed	वन मण्डल सीधी के कक्ष क्रमांक पी-942 रकबा 0.054 हे. में श्री त्रयम्बकेश सिंह पिता सतई सिंह को वनाधिकार पत्र प्रदाय किया गया है जिसको विस्थापित किया जाना होगा।
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना में विस्थापित की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने पर पृथक से प्रेषित की जावेगी।
15.	Compensatory forestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. if in the degraded forest land then what is the current working plan prescription for	वन मण्डल सीधी अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि 34.320 हे. के बदले वन मण्डलाधिकारी सीधी द्वारा परिक्षेत्र मझौली के कक्ष क्रमांक पी-1349 रकबा 38.020 हे., परिक्षेत्र बहरी के कक्ष क्रमांक आर-930 रकबा 30.620 हे0 कुल 68.64 हे. में कुल राशि रु.3,00,97,083/- की रोपण योजना तैयार की गई थी। जिसकी तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 03 दिनांक 13.01.2023 से जारी की गई है।

	the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than 10 Kms.	वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि 141.92 हे. के बदले वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा परिक्षेत्र बरगवां के कक्ष क्रमांक पीएफ-219, रकबा 50 हे., परिक्षेत्र जियावन के कक्ष क्रमांक पीएफ-733, 740, 747, 749 रकबा 50, 40, 25, 20 हे., एवं परिक्षेत्र पश्चिम सरई के कक्ष क्रमांक पीएफ-652, 674, 674 रकबा 48, 92, 60 हे., कुल 385 हे. में कुल राशि रु.17,02,37,385/- की रोपण योजना तैयार की गई थी। जिसकी तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 362 दिनांक 12.12.2022 से जारी की गई है।																
16.	Proposal area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms	वन मण्डल सीधी अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र का किसी भी संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र के निकटतम स्थित संरक्षित क्षेत्र सोन घड़ियाल अभ्यारण्य आता है जिसकी दूरी निम्नानुसार है। <table><tr><th>क्र.</th><th>कक्ष क्र.</th><th>संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित बिन्दु (कोर जोन) से प्रस्तावित स्थल की दूरी कि.मी. में</th><th>संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित इकोसिस्टेम जोन की दूरी कि.मी. में</th></tr><tr><td>1</td><td>पी-946</td><td>6.570</td><td>5.570</td></tr><tr><td>2</td><td>पी-942</td><td>9.040</td><td>8.040</td></tr><tr><td>3</td><td>पी-932</td><td>4.237</td><td>3.237</td></tr></table>	क्र.	कक्ष क्र.	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित बिन्दु (कोर जोन) से प्रस्तावित स्थल की दूरी कि.मी. में	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित इकोसिस्टेम जोन की दूरी कि.मी. में	1	पी-946	6.570	5.570	2	पी-942	9.040	8.040	3	पी-932	4.237	3.237
क्र.	कक्ष क्र.	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित बिन्दु (कोर जोन) से प्रस्तावित स्थल की दूरी कि.मी. में	संरक्षित क्षेत्र के निकटतम अधिसूचित इकोसिस्टेम जोन की दूरी कि.मी. में															
1	पी-946	6.570	5.570															
2	पी-942	9.040	8.040															
3	पी-932	4.237	3.237															
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत कोई भी ट्राइबल उक्त क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। किन्तु वन मण्डल सीधी अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी-942 रकबा 0.054 हे. में श्री त्रयम्बकेश सिंह पिता सतई सिंह को वनाधिकार पत्र प्रदाय किया गया है																
18.	Utility of the project, including the people living in closed vicinity of the project	रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना। रेल लाइन निर्माण से लोगों के आवागमन में सुविधा हागी।																
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated N/A in the earlier sanction order has been complied with.	No																
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	No																
21.	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया है।																
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted	वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वन क्षेत्र 141.92 हे. में विद्यमान 9386 वृक्षों की आवश्यकतानुसार कटाई किया जाना प्रस्तावित है तथा वन मण्डल सीधी अन्तर्गत प्रस्तावित वन क्षेत्र 34.320 हे. में विद्यमान 16574 वृक्षों में से यूजर एजेन्सी न्यूनतम एवं																

	is also not adversely affected.	आवश्यक वृक्षों की कटाई की जावेगी।
23.	Any other issue of significance	No
24.	Specific recommendations of the  with reason for approval of the project.	1. वन मण्डल सिंगरीली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 141.92 हे० एवं वनमण्डल सीधी अन्तर्गत 34.320 हे. कुल रकबा 176.24 हे. वन संरक्षण अधिनियम 1980 (2) नियम 2003 के तहत कार्यकारी अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जयलपुर (रीवा-सीधी-सिंगरीली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना) को उपयोग पर दिए जाने का प्रस्ताव है। 2. वन मण्डल सिंगरीली अन्तर्गत प्रस्तावित वन परिक्षेत्र जियावन, के वन कक्षा क्रमांक PF 781, PF 782, वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित है। 3. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। (अ) 2.47 (9)- कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कोरीडोर की निरंतरता में व्यावधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे। (ब) 2.47(10)- कोरीडोर में स्थित वृक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तान्तरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यभावी हो तो सर्वप्रथम दैक्लिक कोरीडोर की स्थापना की जाये। कार्य आयोजना के उचित प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुमति दी जाती है।

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त रीवा म.प्र.